

प्रेषक,

303

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सेवा में,

रजिस्ट्रार जनरल,
मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या: 557 / तीस-खनन-ने०ग्री०ट्रि०/2024 दिनांक 14 / 05 / 2024

विषय: मा० एन० जी० टी० द्वारा मूल आवेदन सं०: 453/2023 रघुवीर सिंह गड़िया बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयगत प्रकरण पर मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत प्रश्नगत मामले में निम्नवत आदेश पारित किये गये हैं:-

(8) In view of the averments made in the application and objections filed by the applicant and observations made in the report of the Joint Committee regarding environmental violations by respondent No. 5-project proponent and the mandate of Section 20 of the National Green Tribunal Act, 2010 mandating to apply the precautionary principle and in exercise of powers under Section 19(4) (j) of the National Green Tribunal Act, 2010, the respondent no. 5-project proponent its directed to desist from carrying out any further mining in th mining lease in question.

(9) The District Magistrate, Bageshwar and the Senior Superintendent of Police, Bageshwar are directed to ensure that no illegal mining takes place in the mining lease in question.

उक्त आदेश के अनुपालन में प्र० जिला खान अधिकारी, बागेश्वर को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया। प्र० जिला खनन अधिकारी, बागेश्वर द्वारा कार्यालय पत्र संख्या: 69/भू०खनि०वि०/खनन/जन०बागेश्वर/2024-25 दिनांक: 10.05.2024 से अवगत कराया गया है कि वर्तमान में अग्रिम आदेशों तक श्री आनन्द सिंह कालाकोटी के पक्ष में ग्राम पंचों में स्वीकृत सोपस्टोन खनन पट्टे के ई-रवन्ना पोर्टल को बंद कर दिया गया है तथा अग्रिम आदेशों तक खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य बन्द रखे जाने के निर्देश दिये गये हैं। "पट्टाधारक श्री आनन्द सिंह कालाकोटी द्वारा भी अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.2024 से अवगत कराया गया है कि खनन क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 31.03.2024 से खनन कार्य बन्द कर दिया गया है एवं माईनिंग क्षेत्र में सुरक्षात्मक कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पट्टाधारक द्वारा पुनः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 08.05.2024 के क्रम में प्र० जिला खान अधिकारी, बागेश्वर द्वारा पट्टाधारक के खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत अवशेष खनिज स्टॉक 1500 टन के परिवहन हेतु ई०-रवन्ना पोर्टल खोले जाने विषयक आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसमें पृथक से कार्यवाही गतिमान है।

अतः उक्तानुसार अनुपालन आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

(अनुराधा पाल)

जिलाधिकारी बागेश्वर।

संख्या एवं दिनांक उक्तानुसार।

प्रतिलिपि, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, "गौरा देवी पर्यावरण भवन", 46 बी, आई. टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून को उक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

2. Mr. Deepak Bora, Counsel for State of Uttarakhand, 17 New Lawyers Chambers, Setalvad Block, Supreme Court of India, New Delhi – 110001.

(अनुराधा पाल)

जिलाधिकारी बागेश्वर।